21.1.25

आदेश से [illegible]

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थी का प्र.पत्र 111,128 L.R.Act स्वीकार किया जाता है। मौके पक्षकार से समझाया जाकर श्री. पा. / पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 163/2024

उनवान

1. श्रीमती रतनदेवी पत्नी छोटूलाल वैष्णव नि0 बराठिया, तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. बदी पिता धूला अहीर नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) मृतक के बजाया:—
   1/1 शम्भुलाल पिता बदी अहीर नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
   1/2 सीताराम पिता बदी अहीर नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. नाना पिता हेमा अहीर नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. ताराचंद पिता रामचंद अहीर नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. भगवान पिता छोगा अहीर नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. सीताराम पिता लाल अहीर नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. उदा पिता लाला अहीर नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. उदेराम पिता रामा अहीर नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) मृतक के बजाय:—
   7/1 शंकर पिता उदेराम अहीर नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. नारायणलाल पिता देवा अहीर नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
9. रतन पिता नान जी अहीर नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
10. कालूराम पिता मांगीलाल अहीर नि0 ओज्याडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 02—01—2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 21—11—2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम सगतपुरिया प0ह0 ओज्याडा भू0अ0नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा की (अ) खाता संख्या 155 की आ.न. 476 रकबा 1.2519है0, आ.न. 483 रकबा 1.0875है0, आ.न. 484 रकबा 1.2519है0, कुल किता 03 रकबा 3.5913है0,(ब) खाता संख्या 154 आ.न. 486/2 रकबा 0.5058है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **25.11.2024** को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या **01 से 05 व 07 से 11** बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या **6** अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या **6** के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया । प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम **6** का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्त्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

Scanned with CamScanner

सेवामें,

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम सगतपुरिया प0ह0 ओज्याडा भू0अ0नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा की (अ) खाता संख्या 155 की आ.न. 476 रकबा 1.2519है0, आ.न. 483 रकबा 1.0875है0, आ.न. 484 रकबा 1.2519है0, कुल किता 03 रकबा 3.5913है0,(ब) खाता संख्या 154 आ.न. 486/2 रकबा 0.5058है0, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1700/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Scanned with CamScanner